

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 4002-15

दिनांक 14.08.2023

:: निलामी ईशितहार की तिथि परिवर्तन संबंधी सूचना ::

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3 ख के तहत पर्यटन इकाईयों के लिए आरक्षित खसरों की निलामी हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी निलामी ईशितहार क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 3213-3225 दिनांक 11.07.2023 में अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन किया जाकर निलामी दिनांक 16.08.2023 के स्थान पर दिनांक 31.08.2023 निर्धारित की जाती है। निलामी का समय, स्थान व शर्तें यथावत रहेगी।

Bulla
जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 4002-4015

दिनांक 14.08.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु जरिये ईमेल director.tourism@rajasthan.gov.in पर प्रेषित है।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध हैं कि उक्त निलामी ईशितहार की तिथि परिवर्तन संबंधी सूचना को डीआईपीआर दर न्यूनतम साईज में एक राष्ट्रीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में समय पर प्रकाशित करवाकर प्रकाशित समाचार पत्रों की एक-एक प्रति मय बिल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि बिलों का भुगतान किया जा सके।
4. अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही।
5. प्रभारी अधिकारी, लेखा / डीआरए शाखा, कार्यालय हाजा।
6. सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू।
7. उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड।
8. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सिरोही को भेजकर लेख है कि उक्त निलामी ईशितहार की तिथि परिवर्तन संबंधी सूचना को जिला कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. जिला जनसंपर्क अधिकारी, सिरोही को भेजकर लेख है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर से समन्वय करते हुए उक्त निलामी ईशितहार की तिथि परिवर्तन संबंधी सूचना को डीआईपीआर दर न्यूनतम साईज में एक राष्ट्रीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में समय पर प्रकाशित करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत को भेजकर लेख है कि विभागीय उच्चाधिकारियों से समन्वय करते हुए उक्त निलामी ईशितहार की तिथि परिवर्तन संबंधी सूचना को पर्यटन विभाग, जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. कोषाधिकारी, सिरोही।
12. तहसीलदार, आबूरोड।
13. सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-II, कलक्टर कार्यालय, सिरोही।
14. गार्ड फाईल।

Bulla
जिला कलक्टर, सिरोही